को वारंट वैधता में कमी करने अस्वीकृत सामग्री के लिये अलग मांग नोट भेजने भंडार खाते के सरलीकरण उपरिशीर्षों के पुर्नवर्गीकरण आदि से संबंधित कुछ सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये अनुदेश जारी कर दिये गये हैं। इस रिपोर्ट में कई अन्य सिफारिशें शामिल हैं जिनकी गहरी संवीक्षा किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिये एक कार्यबल गठित किया गया है।

मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसिज को आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा सिविल बाजार में विविधीकरण के लिये अध्ययन करने एवं योजना तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। उनकी रिपोर्टों में गैर-रक्षा ग्राहकों के लिये कुछ उन उत्पादों की पहचान की गई है जिनका निर्माण अतिरिक्त क्षमताओं का उपयोग करके किया जा सकता है। इन मदों में आटोमोवाइल उद्योग, बिजली, क्षेत्र, चीनी उद्योग आदि से संबंधित मदें शामिल हैं। संबद्ध उद्योगों से कुछ मदों के लिये आर्डर प्राप्त हुये हैं। टाटा कंसलटेंसी सर्विसिज के सुझाव पर पांच क्षेत्रीय विपणन केन्द्र खोले गये हैं ताकि गैर-रक्षा ग्राहकों को की जाने वाली बिक्री में वृद्धि की जा सके। पिछले कुछ वर्षों में आयुध निर्माणी बोर्ड की विविधीकरण की दशा में हुई प्रगति काफी अच्छी है और वर्ष 1993–94 में गैर-रक्षा ग्राहकों को की गई बिक्री लगभग 21 प्रतिशत रही है।

Joint production of a family car by Benz and TELCO

*75. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Daimler Benz is planning production of a family car with TELCO;

(b) if so, the estimated cost of the car and exact amount of investment expected to flow for the purpose in India during the next two years;

(c) whether the cost of the car is reasonable in comparison to Maruti car; and

(d) if so, how many such cars are expected to be manufactured by the private sector?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) TELCO have recently entered into a joint venture with M/s. Daimler Benz for manufacture of 'E' class Mercedes cars in India. Government is not aware of any other proposal from M/s. Daimler Benz for manufacture of any other type of car with TELCO. Manufacture of cars is presently delicensed and therefore does not require approval of Government.

(b) to (d) Do not arise.

औद्योगिक विकास केन्द्रों को मान्यता

*76. **प्रो० राम बख्श सिंह वर्मा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में, सरकार द्वारा मान्यता प्रदान किए गए औद्योगिक विकास केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) आगामी एक वर्ष के दौरान कितने केन्द्रों को मान्यता प्रदान की जाएगी तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में भी औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) उद्योगों का क्षेत्रीय छितराव करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पूरे देश में 70 विकास केन्द्रों की स्थापना करने के लिए 1988 में एक योजना घोषित की थी। अब तक 69 केन्द्रों का पता लगाया

गया है जिनमें से 39 का अंतिम रूप से अनुमोदन किया गया है । ये केन्द्र राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं । इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को 8 केन्द्र आबंटित किए गए हैं । राज्य सरकार द्वारा जिन स्थापन-स्थलों का प्रस्ताव किया गया है, वे हैं : बचौली-बुजर्ग (झांसी), बन्थारा (शाहजहाँपुर), चौदरपुर (मुरादाबाद), डिबियापुर (इटावा), खुर्जा (बुलंदशहर), मगरा सयाग्रिया (जौनपुर), साहजनवा (गोरखपुर) और शिवराजपुर–पदमपुर (पौड़ी गढ़वाल) । डिबियापुर (इटावा) और शिवराजपुर–पदमपुर (पौड़ी गढ़वाल) को छोड़कर इन सभी केन्द्रों का भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदन कर दिया गया हैं । डिबियापुर और शिवराज: पुर–पदमपुर की परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन किया जा रहा है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Smuggling of Uranium

*77. SHRI RAJ NATH SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned "Bharat-Nepal Seema Par Uranium Ki Taskari" that appeared in Hindi newspaper "Sahara" dated the 31st December, 1994; and

(b) if so, the details thereof and persons arrested in this regard and what penal action has been taken or is being taken against those persons who have been found guilty/involved in the smuggling of Uranium?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (a) Yes, Sir.

(b) According to the report received from the Superintendent of Police, Maharajganj (Uttar Pradesh), four persons were arrested for being in possession of 350 gm. of what was suspected to be uranium as they were trying to sell it as uranium. On 6.1.1995 a courier brought a sample of the confiscated material for analysis in the laboratory of the Atomic Minerals Division. The sample was analysed as "Resin" which is an organic compound and not uranium.

Wind energy in India

*78. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Will the PRIME MINISTER be please to state:

(a) how much energy is generated by wind in India as on 1st March, 1995;

(b) what is the total capital investment for such generation;

(c) what is the future plan for encouraging wind energy generation in our country; and

(d) what is the per unit cost of wind generated energy?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) 480 million units of electricity have so far been generated from wind power projects, as on 1st March, 1995.

(b) The capital investment for wind power projects is between Rs. 3.50 — 4.00 crores per megawatt.

(c) Under the new Strategy and Action Plan, the target for the 8th Plan for wind power generation has been revised from 100 MW to 500 MW. While the budgetary allocations are being utilised for selected demonstration projects, the programme is mainly being implemented through private sector projects with mobilisation of resources from financial institutions, external assistance and private investments. The States have also been requested to set up suitabl institutional arrangements and introduce